



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072023-247339
CG-DL-E-14072023-247339

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3018]
No. 3018]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2023/आषाढ़ 23, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2023/ASHADHA 23, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023
(आयकर)

का.आ. 3147(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उप-धारा (1ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 2672(अ) दिनांक 26 जुलाई, 2019 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), संख्या 55/2019, दिनांक 26 जुलाई, 2019 की अधिसूचना में, निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में, - प्रथम पैरा के स्पष्टीकरण के खंड (क) को निम्नानुसार रखा गया है, नामतः-

“स्पष्टीकरण:- इस पैरा के प्रयोजनार्थ,-

अ. “निवेश निधि” का तात्पर्य एक न्यास अथवा एक कम्पनी अथवा एक सीमित दायित्व सहभागिता अथवा एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित अथवा समाविष्ट किसी निधि से है, जिसे वर्ग I अथवा वर्ग II वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है और प्रतिभूति एवं भारतीय

विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के अंतर्गत विनियमित है, जिसे प्रतिभूति एवं भारतीय विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया अथवा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अंतर्गत विनियमित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अंतर्गत बनाया गया है।“

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 49/2023 फा. सं. 225/79/2019-आईटीए-II]

कास्त्रो जयप्रकाश टी., अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 2672(अ) दिनांक 26 जुलाई, 2019 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th July, 2023
(INCOME-TAX)

S.O. 3147(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue), Number 55/2019, dated the 26th July, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2672(E), dated 26th July, 2019, namely:-

In the said notification, - Clause (a) of the Explanation to first para is substituted as under:

“Explanation:- For the purposes of this paragraph,-

- a. "investment fund" means any fund established or incorporated in India in the form of a trust or a company or a limited liability partnership or a body corporate which has been granted a certificate of registration as a Category I or a Category II Alternative Investment Fund and is regulated under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or regulated under the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 made under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);”

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 49/2023/F. No.225/79/2019-ITA-II]

CASTRO JAYAPRAKASH. T, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 2672(E), dated 26th July, 2019.